चाँद कौर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

बनाम

मेहर कौर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

(सिविल अपील संख्या- 3276-3281/2019) मार्च 28, 2019

[अभय मनोहर सप्रे एवं दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 100 - उच्च न्यायालय द्वारा विधि के किसी भी सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को बनाये बिना द्वितीय अपीलों का निस्तारण कर दिया गया-
अवधारित: वर्तमान अपीलों में विधि के सारभूत प्रश्नों को बनाया जाना आज्ञापक था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपीलों को स्वीकार किया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया था, जिसे द्वितीय अपीलों में चुनौती दी गई थी- द्वितीय अपील की अनुमति देने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि पहले मामले में उत्पन्न होने वाले विधि के सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को तैयार किया जाए और फिर बनाए गए प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर देते हुए द्वितीय अपील निर्णित किया जाए- इस प्रकार, मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि पहले सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को तैयार किया जाये, जो कि द्वितीय अपील के अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनकी संबंधित द्वितीय अपीलों में बनता है।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. **इस न्यायालय ने लगातार अभिनिर्धारित किया है कि विधि के सारभूत प्रश्न को तैयार किए बिना उच्च न्यायालय को द्वितीय अपील की अनुमति देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 100 में उपबंधित है| दूसरे शब्दों में, द्वितीय अपील की अनुमति देने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि पहले मामले में उत्पन्न होने वाले विधि के सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को तैयार किया जाए और फिर बनाए गए प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर देते हुए द्वितीय अपील निर्णित किया जाए| [पैरा 6] [888-G-H; 889-A]**
2. **चूँकि इस मामले में, उच्च न्यायालय अपील स्वीकार करते समय या अंतिम सुनवाई से पहले कोई भी सारभूत प्रश्न तैयार करने में असफल रहा और फिर भी उनमें आक्षेपित निर्णयों में संशोधन करते हुए, समूह में से कुछ द्वितीय अपीलों को स्वीकार करने की ओर बढ़ा, उच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित किया, इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस प्रकार, मामले उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित हो, जो तदनुसार गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार अपीलों का निर्णय करेगा। [पैरा 7] [889-C-E]**

चाँद कौर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम मेहर कौर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और अन्य (2018) 4 एससीसी 562: [2018] 1 एससीआर 1063; विजय अर्जुन भगत और अन्य बनाम नाना लक्ष्मण तपकीरे और अन्य (2018) 6 एससीसी 727: [2018] 4 एससीआर 452 को संदर्भित किया गया।

केस लॉ संदर्भ

[2018] 1 एससीआर 1063 पैरा 6 को संदर्भित किया गया|

[2018] 4 एससीआर 452 पैरा 6 को संदर्भित किया गया|

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं०-3276 –3281/2019

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आर०एस०ए० संख्या-2066, 2067, 2068, 2292, 2293 और 2294 सन् 1987 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित-23.03.2011 से उद्भूत।

अधिवक्तागणः- पी०पी० नायक, सुश्री वंदना हुडा, सुश्री भूपिंदर, अजय पाल- अपीलकर्ताओं के लिए।

सुश्री श्रुति बिष्ट, सुश्री एस० जनानी- उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति-

1. अनुमति प्रदत्त।
2. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आर०एस०ए० संख्या-2066, 2067, 2068, 2292, 2293 और 2294 सन् 1987 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित-23.03.2011 के विरुद्ध निर्देशित हैं।
3. इन अपीलों के निपटारे के लिए तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले की पत्रावली के अवलोकन करने के बाद, हमने द्वितीय अपीलों को निर्णित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की राय बनाई है, जिनमें से ये अपीलें उत्पन्न हुई, उनके विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निपटाने के लिए|
4. इन मामलों को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमने पाया है कि यद्यपि कि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपीलों के समूहों (आरएसए संख्या 2066 से 2068 वर्ष 1987 और आरएसए 2292 से 2294 वर्ष 1987) का निस्तारण कर दिया, लेकिन उसने ऐसा विधि के सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को तैयार किए बिना किया, जैसा कि संहिता की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद इसे "संहिता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 100 के तहत तैयार किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 5 एस.सी.आर.
5. हमारी राय में, वर्तमान अपीलों में विधि के सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को बनाया जाना आज्ञापक था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपीलों को स्वीकार किया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया था, जिसे द्वितीय अपीलों में चुनौती दी गई थी। यहां नीचे उल्लिखित आक्षेपित आदेश के अंतिम पैराग्राफ से यह स्पष्ट है:

> "हालांकि, मैं विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय के बाद के भाग से स्वयं को सहमत कर पाने में असमर्थ हूँ, जहाँ मेहर सिंह और चाँद कौर के मध्य पूर्व मुकदमे में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, चाँद कौर को जयमाल की संपत्ति के ⅝ हिस्से का हकदार माना गया। एक बार जब विद्वान अधीनस्थ अपीलीय अदालत तथ्य के इस विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि चाँद कौर न तो संतो की बेटी थी और न ही संतो चेता की बेटी थी, इस प्रकार, यह मानने का कोई आधार नहीं था कि चाँद कौर स्वर्गीय जयमाल की आधी संपत्ति को रखने की हकदार थी। पूर्व निर्णय पर विश्वास करके, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपने ही निर्णय के विरुद्ध चला गया और विवक्षित रूप से यह स्वीकार कर लिया कि संतो चेता की बेटी थी। यह स्पष्ट है कि वस्तुओं की ऐसी स्थिति एक साथ नहीं रह सकती।

आवश्यक निहितार्थ से, संतो के चेता की बेटी न होने के सम्बन्ध में विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के परिणामस्वरूप स्वर्गीय जयमाल की संपत्ति का स्वत्व मेहर सिंह और मेहर कौर को बराबर हिस्से में मिलता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, मेहर कौर द्वारा दायर 1987 का आरएसए नंबर 2066, 2067 और 2068 सफल हो गया है और चाँद कौर द्वारा दायर 1987 का आरएसए नंबर 2292, 2293 और 2294 ख़ारिज किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष को इस विस्तार तक संशोधित किया जाता है कि मेहर सिंह और मेहर कौर के विधिक उत्तराधिकारी स्वर्गीय जयमाल सिंह की सम्पूर्ण संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने में सफल होने के हकदार है और चाँद कौर के विधिक उत्तराधिकारियों को ऐसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। "

6. इस न्यायालय ने लगातार अभिनिर्धारित किया है कि विधि के सारभूत प्रश्न को तैयार किए बिना उच्च न्यायालय को द्वितीय अपील की अनुमति देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है , जैसा कि संहिता की धारा 100 में उपबंधित है| दूसरे शब्दों में, द्वितीय अपील की अनुमति देने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि पहले मामले में उत्पन्न होने वाले विधि के सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को तैयार किया जाए और फिर बनाए गए प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर देते हुए चाँद कौर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम मेहर कौर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि [अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति] द्वितीय अपील निर्णित किया जाए| (सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान व अन्य, (2018) 4 एससीसी 562 और विजय अर्जुन भगत व अन्य बनाम नाना लक्ष्मण तपकिरे व अन्य, (2018) 6 एससीसी 727) देखें।
7. चूँकि इस मामले में, हमने पाया कि उच्च न्यायालय अपील स्वीकार करते समय या अंतिम सुनवाई से पहले कोई भी सारभूत प्रश्न तैयार करने में असफल रहा और फिर भी उनमें आक्षेपित निर्णयों में संशोधन करते हुए, समूह में से कुछ द्वितीय अपीलों को स्वीकार करने की ओर बढ़ा, उच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित किया, इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
8. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलें सफल होती हैं और तदनुसार अनुमति प्रदत्त की जाती हैं। आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। सभी द्वितीय अपीलें , जिनमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं, उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी मूल संख्या में पुनर्स्थापित की जाती हैं।
9. उच्च न्यायालय अब पहले सारभूत प्रश्न (प्रश्नों) को तैयार करेगा, जो कि द्वितीय अपील के अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनकी संबंधित द्वितीय अपीलों में बनता है।
10. चूँकि हमने, ऊपर जो अवधारित किया गया है, उसके आलोक में मामले को प्रतिप्रेषित करने की राय बनाई है, इसलिए हमने विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं किया है।
11. उच्च न्यायालय तदनुसार आक्षेपित आदेश में या इस आदेश में भी की गयी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, अपीलों का गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार निर्णय करेगा।

अपील स्वीकृत|